न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 274/2008

उनवान

1 गोपाल पिता श्रीराम गुर्जर, निवासी कानियॉ तहसील मसूदा अजमेर
2 श्रीमति ऐजी पत्नि स्व. श्रीराम गुर्जर, नि0 कानियॉ तहसील मसूदा
3 महावीर पिता श्रीराम गुर्जर, निवासी कानिया, तहसील मसूदा
4 श्रीमति लादी पुत्री श्रीराम गुर्जर, निवासी कानिया तहसील मसूदा

–वादीगण

बनाम

1 शिवराज पिता किशनलाल महाजन, नि. शिवनगर, तहसील हुरडा।
2 महावीर पिता शोभागमल, निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा ।
3 विकास पिता शोभागमल, निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा ।
4 श्रीमति लाडकँवर पत्नि शोभागमल, निवासी शिवनगर, तह. हुरडज्ञ।
5 श्रीमति नीता पत्नि महेन्द्र सिंह निवासी बिजयनगर, तहसील मसूदा ।
6 तहसीलदार हुरडा, तहसील हुरडा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री धर्मेन्द्र आमेठा वकील वादी ।
श्री श्यामलाल त्रिवेद्वी वकील प्रतिवादी ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 25.05.2018

1– वादीगण के द्वारा एक वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादीगण के पिता एवं पति के द्वारा प्रतिवादी नम्बर– 1 , व 2, 3 के पिता से वाके ग्राम शिवनगर, तहसील हुरडा में आराजीयात नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 2000/– रुपये दिनांक 05.04.1977 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादीगण उक्त आराजीयात में निहित हिस्से अनुसार बतौर मालिक काबिज होकर पिढी दर पीढी उपयोग–उपभोग आज दिन तक चले आ रहे है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

2– वादीगण के पिता एवं पति द्वारा उक्त आराजीयात 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु राजस्व अधिकारी के यहॉ विक्रय पत्र पेश किया परन्तु राजस्व अधिकारी द्वारा टालम टोल करते रहे एवं राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम अंकित नही किया ।

Scanned by CamScanner

3– प्रतिवादी नम्बर– 02 से लगायत 04 के पिता का स्वर्गवास हो जाने के प्रतिवादीगण राजस्व अधिकारी से मिलकर गलत एवं अवैध तरीके से सम्पूर्ण आराजीयात 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा को अपने नाम करा लिया। जबकि प्रतिवादीगण 01 से लगायत 04 को भली भांति जानकारी थी कि उक्त आराजीयात में से 10 बीघा आराजीयात प्रतिवादी नम्बर– 01 एवं उनके पिता एवं पति स्वर्गीय शंभुराम पिता किशनलाल जी द्वारा वादीगण के पिता एवं पति श्रीराम पिता देवकरण गुर्जर निवासी कारोलिया को 10 बीघा आराजीयात विक्रय की हुयी है।

4 प्रतिवादीगण 02 से लगायत 04 ने 05 बीघा आराजीयात अपने हिस्से से अधिक को प्रतिवादीगण नम्बर– 05 को गलत एवं अवैध रूप से किया गया विक्रय वादीगण के हक पर बेअसर होने से उन्हें वादीगण के हक पर बेअसर होकर शून्य घोषित करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण के पिता एवं पति का स्वर्गवास हो जाने से उक्त आराजीयात नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा अपने नाम राजस्व रेकार्ड में करवाने एवं राजस्व रेकार्ड में विभाजन करने के अधिकारी है ।

5 प्रतिवादीगण 02 से लगायत 04 द्वारा गलत एवं अवैध रूप किये गये विक्रय के आधार पर प्रतिवादीगण नम्बर– 05 द्वारा दिनांक 30.08.2008 को वादीगण की आराजीयात पर आई एवं वादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल करने की धमकी दी । प्रतिवादीगण नम्बर– 05 का उक्त कृत्य सरासर गलत होकर विधि विरूद्ध होने से उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। अगर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण वादीगण को बलपूर्वक बेदखल कर देंगें जिससे वादीगण अपने हक हिस्से से महरूम हो जायेगें तथा वादीगण के बाल बच्चे भूखे मर जायेंगे जिससे वादीगण को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि सम्भव नहीं हो सकेगी, एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी।

6 अन्त में अंकित किया गया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा आराजीयात का वादीगण को खातेदार घोषित करने की डिक्री सादिर फरमायी जावें। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार विभाजन की डिक्री सादिर फरमायी जावे। बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात 16 बीघा 04 बिस्वा में से वादीगण के हिस्से के कब्जे व उपभोग उपयोग में बाधा उत्पन्न नही करे करावें। बहक वादीगण खिलाफ के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावें कि प्रतिवादी नम्बर– 02 से लगायत 04 अपने निहित हिस्से से अधिक प्रतिवादी नम्बर– 05 को विक्रय करदी जो उक्त विक्रय वादीगण के हक पर बेअसर है कि डिक्री सादिर फरमायी जावे।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

7 प्रस्तुत वाद पत्र वाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 01 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 12.01.2009 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के कार्यवाही के आदेश प्रसारित किये गये। प्रतिवादी संख्या– 2 से लगायत 4 की और से दिनांक 05.09.2011 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 5 की और से दिनांक 26.08.2013 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या– 6 के पैरोकारराज के द्वारा औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया।

8 प्रकरण में वादपत्र-व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 15.09.2014 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं.1	आया वादीगण के पिता व पति ने प्रतिवादी नम्बर 01 के पिता से वादग्रस्त आराजी में से 10 बीघा भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.04.1977 से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है।	–वादी
तनकी नं.2	आया वादीगण वादग्रस्त भूमि में उनके निहित हिस्से पर वतौर मालिक काबिज होकर पीढी दर पीढी उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है।	–वादी
तनकी नं.3	आया प्रतिवादी 02 से 04 ने अपने पिता के स्वर्गवास के बाद सम्पूर्ण आराजीयात को अपने नाम दर्ज करा अपने हिस्से से अधिक 05 बीघा आराजीयात को अवैध रुप से प्रतिवादी संख्या– 05 को विक्रय कर दिया। जो वादीगण के हक पर बेअसर होने से वादीगण शून्य घोषित कराने के अधिकारी है।	–वादी
तनकी नं.4	आया वादीगण वादग्रस्त आराजी नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि अपने नाम घोषणा व विभाजन कराने के अधिकारी है।	–वादी
तनकी नं.5	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 05 में वर्णित कारणों से वादीगण प्रतिवादी नम्बर– 05 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।	–वादी
तनकी नं.6	टाया जवाबदार शोभागमल की मृत्यु के बाद विधिक तौर पर उनके नाम नामान्तकरण खुला तथा विवादित आराजीयात उनके नाम खातेदारी हक से दर्ज हुई तथा आराजी दर्ज होने के बाद प्रतिवादी 05 को रजिस्टर्ड बेचान से बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया । तभी से प्रतिवादी 05 का कब्जा काश्त चला आ रहा है।	–प्र.वादी 02 से 04
तनकी नं.7	आया जवाबदार विवादित आराजी पर वादीगण का कभी भी कब्जा नही रहा जिससे वो प्रतिवादी के विरुद्ध किसी भी प्रकार को दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नही है।	–प्र.वादी 02 से 04
तनकी नं.8	आया जवाबदार जवाब दावा की कलम नम्बर– 03 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है।	–प्र.वादी 05
तनकी नं.9	आया जवाबदार जवाब दावा की कलम नम्बर– 06 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है।	–प्र.वादी 05

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

तनकीन.10	आया जवाबदार जवाब दावा की कलम नम्बर– 16 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है।	–प्र. वादी 05
तनकीन11	अनुतोष ।	

9 वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र की ताहिद में साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समूचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही कर दिनांक 10.04.2017 को एक प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम– 14 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई गई, वकील प्रतिवादी के द्वारा जवाब कां अवसर चाहा जाने से प्रकरण वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र में नियत किया गया।

10 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट गागेडा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–'14 जाप्ता दीवानी पर सूनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अन्त में कथन किया कि उक्त दस्तोवज की प्रमाणित प्रतिलिपि जो वादी कहीं रखकर भूल गई है जो हाल ही में दिनांक 05.04.2017 को मिली है, जिसे रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। अतःएव प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावें।

11 वकील अप्रार्थी का कथन था कि वादीगण के द्वारा जानबूझकर उक्त दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत नही कर प्रकरण को विलम्ब करना चाहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें।

12 मैनें वकील उभयपक्ष को सूना। बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया । चुँकि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति है जो कूटरचित होकर फर्जी होने का कोई अनदेशा नही है तथा उक्त दस्तावेज प्रकरण में अहम दस्तावेज होकर न्याय में सहायक होगा ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश–7 नियम– 14 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.03.2006 को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

13 तत्पश्चात प्रकरण पर अंतिम बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादीगण के पिता श्रीराम गुर्जर ने ग्राम शिवनगर की आराजी नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.04.1977 को प्रतिवादी संख्या– 1 शिवराज व प्रतिवादी संख्या– 2, 3 के पिता शोभागमल पुत्र किशनलाल से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया, तभी से वादीगण उक्त आराजी के निहित हिस्से अनुसार बतौर मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 के पिता की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण राजस्व अधिकारियों से मिलकर अवैध तरीके से सम्पूर्ण आराजी का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया, तथा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 ने 5 बीघा भूमि अपने हिस्से से अधिक को प्रतिवादी संख्या– 5 को गलत व अवैध रुप से विक्रय कर दिया जो वादीगण के हक अधिकारों पर बेअसर है तथा वादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने से वह उक्त आराजीयात में से 10 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम घोषणा करवाने के अधिकारी होने से दावा वादी स्वीकार फरमाया जावें ।

14 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादी के द्वारा बताया गया बैचान नामा फर्जी है। वादीगण के पिता ने उनके जीवनकाल में प्रतिवादीगण के हक अधिकारों को कभी भी चुनौती देने के अधिकारी नही है, वादीगण के हक अधिकार नही है । वादीगण के हक अधिकार धारा–63 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत समाप्त हो चुके है। वकील प्रतिवादी का बहस में आगे यह भी कथन था कि तथाकथित बैचान कभी भी अस्तित्व में नही आया है और ना ही सीमा अवधि में है वादीगण व उनके पूर्वज में अमल में लाये । प्रतिवादी संख्या– 5 सद्भावी खरीदार है जिसने उचित प्रतिफल देकर भूमि खरीद की है जिसे वादीगण चुनौती देने के अधिकारी नही है। अन्त में कथन किया कि वादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा नही है वादीगण को यह वाद लाने का कोई विधिक अधिकार नही होने से दावा वादी खारिज योग्य है।

15 मैने वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

16 **<u>तनकी नम्बर– 1 व 2</u>** इन दोनो तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर होने से तथा इन दोनो तनकीयों का सम्बन्ध एक दूसरे से होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयों के सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1977 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है , जिस अनुसार शिवराज, शोभागमल पिता किशनलाल महाजन निवासी शिवनगर के द्वारा ग्राम शिवनगर की आराजी नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि को 2000/– रुपये में श्रीराम पिता देवकरण गुर्जर साकिन कानिया को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया जाना प्रकट आया है। तदनुसार इन तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

17 **<u>तनकी नम्बर– 3 व 4</u>** इन दोनो तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर होने तथा यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयों के समर्थन में वादीगण के द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 मौजा शिवनगर तहसील हुरडा की प्रस्तुत की है, जिस अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि शिवराज, शोभागमल पिता किशनलाल महाजन साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 मौजा

Scanned by CamScanner

शिवनगर तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि शिवराज पिता किशनलाल, महावीर, विकास पिता शोभागमल, लाडकँवर बेवा शोभागमल महाजन साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण 860 दिनांक 26.10.2005 विक्रय से महावीर, विकास पिता शोभागमल, लाडकँवर बेवा शोभागमल के बजाय नीता पत्नि महेन्द्र सिंह कुशवाह साकिन देह विजयनगर का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

चुँकि जमाबन्दी संख्या– 2032–2035 के अनुसार विवादित आराजीयात में शिवराज व शोभागमल का 1/2, 1/2 यानि 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि शिवराज के हिस्से में व 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि शोभागमल के हिस्से में आती है खातेदार शिवराज व शोभागमल ने आराजी नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1977 से श्रीराम पिता देवकरण गुर्जर को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया जाने से शेष 06 बीघा 04 बिस्वा में से 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि शिवराज व 03 बीघा 02 बिस्वा शोभागमल के हिस्से में रही है।

पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.03.2006 के अनुसार महावीर, विकास पुत्र शोभागमल मुस्मात लाडकँवर पत्नि शोभागमल ने वादग्रस्त भूमि में अपने निहित शेष भूमि 03 बीघा 02 बिस्वा के मुकाबले 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि को श्रीमति नीता पत्नि महेन्द्र सिंह कुशवाह को विक्रय किया जाना प्रकट आया है। जिस प्रकार प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 ने वादग्रस्त भूमि में अपने निहित हिस्सा में से 05 बीघा अधिक भूमि का विक्रय किया गया है जो वादीगण के हक अधिकारों पर शून्य प्रभावी है। चुँकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1977 आज भी विधि मान्य होकर प्रभावी है तथा किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नही किया गया है, तद्नुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि के लिये हक घोषणा करवाने के लिये अधिकारी पाये जाने से इन तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

18 **तनकी नम्बर– 5** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। चुँकि विवादित भूमि पत्रावली पर उपलब राजस्व जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादी संख्या– 5 के नाम रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है। यदि प्रतिवादी संख्या–5 को पाबन्द नही किया गया तो वह वादग्रस्त भूमि में से वादीगण को बेदखल कर देंगें, आराजी मुतदाविया को खुर्द बुर्द कर देगें, जिससे वादीगण अपने हक हकूक की आराजी से महरुम हो जायेगें जिससे वादीगण को उन्हें भारी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा, तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

19 **तनकी नम्बर– 6** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या–5 पर है। चुँकि विवादित भूमि में से प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 के पिता शोभागमल का 1/2 हिस्सा यानि 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि दर्ज थी, जिसमें से तत्कालीन खातेदार शोभागमल ने 05 बीघा भूमि

Scanned by CamScanner

का बेचान वादीगण के पिता श्रीराम गुर्जर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किये जाने के बाद शेष 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि शेष रहती है किन्तु प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 के द्वारा शोभागमल की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि का खाता अपने नाम खुलवा लिया जो विधि विरुद्ध है, और इस विधि विरुद्ध नामान्तकरण से आई भूमि को प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 के द्वारा, प्रतिवादी संख्या– 5 को किये गये विक्रय से प्रतिवादी संख्या– 5 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है, जहाँ तक आराजी मुतदाविया पर कब्जे काश्त का प्रश्न है वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराये गये है, तद्नुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी– 5 के विरुद्ध किया जाता है।

20 <u>तनकी नम्बर– 7 व 8</u> इन दोनो तनकीयों को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या– 5 पर होने तथा यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयों के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या–5 का कथन है कि बेचान नामा कभी भी अस्तित्व में नही आया, और न ही सीमाअवधि में अमल में लाया गया, चुंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1977 को ही फार्स में आ चूका था। जहाँ तक सीमा अवधि का सवाल है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जब तक विधि मान्य है, जब तक वह किसी सक्षम न्यायालय से अवैध घोषित नही किया जाता, निरस्त नही किया जाता। तद्नुसार इन तनकीयों का निर्णय प्रतिवादी संख्या– 5 के विरुद्ध किया जाता है।

21 <u>तनकी नम्बर– 9</u> इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या–5 पर है। इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या– 5 का कथन है कि वादी ने तहसीलदार को भूमि धारी बताते हुये पक्षकार बनाया है, लेकिन भूमि धारी राजस्थान सरकार है, जो आवश्यक पक्षकार है। यह सही है कि घोषणा के दावे में राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है, परन्तु जहाँ विवाद केवल पक्षकारों के बीच में हो तो राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार नही है, यह एक तकनीकी बिन्दु है, राज्य सरकार को पक्षकार बनाने या नही बनाने से किसी भी पक्षकार को उसके हकों से वंछित नही किया जा सकता, तद्नुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है।

22 <u>तनकी नम्बर– 10</u> इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या–5 पर है। इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या–5 का कथन है कि वादीगण विवादित आराजीयात के काश्तकार नही है, और ना ही उनका कब्जा है। जिससे वादीगण को यह वाद लाने का विधिक अधिकार नही है। चुंकि वादीगण के द्वारा यह वादपत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत हक घोषणा करवाने का प्रस्तुत किया गया है, यदि वादीगण विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार होते तो उन्हें वाद लाने की कोई आवश्यकता ही नही होती, जहाँ आराजी मुतदाविया पर कब्जेकाश्त का प्रश्न है, प्रतिवादी संख्या–5 ने भी यह साबित नही करवाया गया है कि

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा ना होकर उनका कब्जा है। अतःएव साक्ष्य के अभाव में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी संख्या– 5 के विरुद्ध किया जाता है।

23 **तनकी नम्बर– 11** समग्र रुप से हम पाते है कि विवादित आराजी रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता श्रीराम- गुर्जर के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1977 से तत्कालीन खातेदारों से क्रय की गई थी, उसके बाद प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 के द्वारा खातेदार शोभागमल की विरासत से नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवा कर विक्रय की गई भूमि को पुनः प्रतिवादी संख्या– 5 को अपने हक हिस्से से अधिक का बेचान कर दिया जबकि पूर्ववृर्ती रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आज भी विधि मान्य होकर प्रभावी है, किसी न्यायालय से निरस्त नही किया गया है, इसलिये वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1977 के आधार पर अपने नाम घोषणा करवाने के अधिकारी है साथ ही इस वाद की सभी तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में हो जाने से भी इस वाद का निर्णय हो जाता है, तद्नुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: निर्णय :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा शिवनगर पटवार हल्का गागेडा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 633 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि के खातेदार शिवराज पिता किशनलाल, के हक हिस्से में 05 बीघा भूमि तथा नीता पत्नि महेन्द्र सिंह कुशवाह के हिस्से 05 बीघा भूमि कम की जाकर कुल 10 बीघा भूमि के लिये वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज़ दिनांक 25.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट गागेडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर सुजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner